भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2021
दिनांक 11 दिसंबर 2025

किराये के आवास के लिए डीपीई नीति

2021.श्री काली चरण सिंहः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि एचपीसीएल के वर्तमान सीएमडी ने चेंबूर में आधिकारिक कंपनी आवास की उपलब्धता के बावजूद नरीमन प्वाइंट, मुंबई में एक महंगे किराए के अपार्टमेंट में रहना पसंद किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस उच्च मूल्य वाली सुविधा को एचपीसीएल बोर्ड, लेखा परीक्षा समिति या संबंधित मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह डीपीई के लाभ एवं मितव्ययिता दिशा-निर्देशों के अनुरूप है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) महारत्न / नवरत्न सीपीएसई में सीएमडी/निदेशकों के लिए इतने महंगे किराये के आवास के लिए कोई अनुमोदित डीपीई नीति उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एचपीसीएल बोर्ड के दूसरे निदेशक (कार्यरत/स्वतंत्र निदेशक) कंपनी को दिए गए घर में रहते हैं या निजी किराए की जगह पर रहते हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार इस मामले में जांच/विशेष लेखापरीक्षा कराने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (च) एचपीसीएल के सीएमडी या बोर्ड स्तर के अन्य कार्यकारी- अधिकारियों के लिए कोई निर्दिष्ट/अधिकारिक आवास नहीं है। कंपनी की नीति के अनुसार, कार्यकारी-अधिकारी कंपनी के मालिकाना हक वाली/कंपनी के पट्टे पर/अवकाश और लाइसेंस वाले आवास में रहते हैं। मौजूदा सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, जिनका इस मामले में पालन किया गया है, एचपीसीएल का निदेशक मंडल पट्टे के किराए पर फैसला लेने में सक्षम हैं। कार्यकारी- अधिकारी अपने घर में रहने का विकल्प भी चुन सकते हैं और मकान किराया भत्ता (एचआरए) के हकदार हो सकते हैं। स्वतंत्र प्रभार के निदेशकों को आवास/एचआरए नहीं दिया जाता है।

*****